

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु विज्ञापन
(प्रथम चरण - केवल शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी आवेदकों के लिए)

म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 के नियम-6 (8) एवं (9) में दिये गये प्रावधान के अधीन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 की क्रमशः दिनांक 19.02.2012 को आयोजित "पात्रता परीक्षा" में अर्ह पाये गये शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्रदेश के जिला पंचायत अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के लिए के रिक्त पदों पर प्रथम चरण में नियोजन हेतु जिला पंचायतों की ओर से ऑनलाईन आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 के नियम 6 (6), (7) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा-
 अ. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत।
 ब. भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत।
 स. निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका-1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गों के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/डी/380/1773/ 05/आ0प्र0/एक, दिनांक 24.03.06 के अनुसार होगा।
 द. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 में दिए गये प्रावधान अनुसार होगा।
2. शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :-
 (1) नियम, 2005 की अनुसूची-दो में उल्लेखित अनुसार।
 (2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षित व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी। इसके लिए पृथक से विज्ञापन जारी किया जाएगा।
 (3) न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष
3. अर्हताएं एवं निरर्हताएं :- आवेदक के लिए अर्हतायें एवं निरर्हतायें का विवरण विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है जो कंडिका- 7 अनुसार उपलब्ध होगा।
4. संविदा पारिश्रमिक :- नियम, 2005 की अनुसूची-एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के लिए मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) क्रमशः ₹ 7000 देय हैं।
5. नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड : म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 के नियम-6 (9) के अनुसार होगी।
6. पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध :- नियम, 2005 के नियम-7 के अनुसार होंगे। विस्तृत विज्ञापन में विवरण दिया गया है।
7. विस्तृत विज्ञापन एवं शिक्तियों का प्रदर्शन :-
 प्रदेश में जिला पंचायत के अधीन संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के रिक्त पदों का नियुक्तिकर्तावार/ विषयवार एवं आरक्षणवार विवरण तथा विस्तृत विज्ञापन www.mponline.gov.in पर दिनांक 15.03.2013 से उपलब्ध रहेगा।
8. अभिलेखों का सत्यापन :-
 पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक जो केवल शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता बी.एड. / डी.एड./बी.टी.सी. या अन्य नाम से प्रचलित) नियम, 2005 की अनुसूची-दो में दी गई शिक्षण/प्रशिक्षण योग्यता अनुसार प्रशिक्षित है, इस चरण में अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रदेश के किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिले द्वारा चिह्नित किसी अन्य संस्था/कार्यालय में दिनांक 18.03.2013 से 30.03.2013 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर करा सकते हैं।
9. एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क से नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विकल्प का चयन:-
 अभिलेखों का सत्यापन कराने के उपरांत अभ्यर्थी पात्र होने पर अभ्यर्थी को सत्यापन पंजीयन क्रमांक (रिफरेंस नंबर) प्राप्त होगा। सत्यापन पंजीयन क्रमांक के द्वारा अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन के किसी भी "कियोस्क" से अथवा स्वयं के द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऑनलाईन चयन दिनांक 18.03.2013 को अपरान्ह 3:00 बजे से 31.03.2013 को रात्रि 11.50 बजे तक कर सकते हैं। आवेदक रिक्त पद के लिए एक से अधिक निकाय के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
10. मेरिट सूची का ऑनलाईन प्रदर्शन :-
 नियम, 2005 के नियम-9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया दिनांक 27.03.2012 के अनुसार नियुक्तिकर्तावार चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 15.04.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर जारी की जायेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को उपस्थिति देना :-
 चयनित अभ्यर्थी का चयन जिस जिला पंचायत के अधीन हुआ है उसे उपस्थिति देने के संबंध में जानकारी पृथक से संसूचित की जाएगी।
12. न्यायालय निर्णय के आदेश के अनुक्रम में प्रक्रिया:-
 संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पालन में संबंधित अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। इनकी नियुक्ति मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

(एस.बी. घाटे)
 उप संचालक
 आयुक्त लोक शिक्षण के लिए